

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

सूचना

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित जिला उपभोक्ता फोरम, वैशाली के रिक्त होने वाले अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में आमंत्रित किया जाता है। अध्यक्ष की नियुक्ति अधिकतम पांच वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र सीमा (जो भी पहले हो) तक के लिए की जाएगी।

क्रम सं०	अध्यक्ष
01	वैशाली

अध्यक्ष को मासिक मानदेय सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-10000, दिनांक 10.07.2015 के आलोक में भुगतान किया जाएगा।

2. पात्रता:- एक ऐसा व्यक्ति जो जिला न्यायाधीश है या रह चुका है या होने योग्य है, इसका अध्यक्ष होगा। जैसा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 10(1)(a) में प्रावधानित है।
3. उम्र सीमा:- विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को 65 वर्ष से अधिक न हो।

नोट:-

- I. आवेदन निबंधक, राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण, आर ब्लॉक, रोड नं०-02, पटना-800001 के कार्यालय में सिर्फ निबन्धित डाक के द्वारा विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर तक प्राप्त किया जाएगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त या अपूर्ण आवेदन-पत्र पर विचार अथवा कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।
- II. शैक्षणिक योग्यता/जन्म तिथि तथा अनुभव संबंधी प्रमाण-पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
- III. बनावटी तथा जाली प्रमाण-पत्र/अनुभव प्रमाण-पत्र पाये जाने पर आवेदक/आवेदिका की पात्रता स्वतः समाप्त हो जाएगी।
- IV. निर्गत विज्ञापन के संबंध में किसी भी प्रकार का संशोधन अथवा विज्ञापन रद्द करने का सम्पूर्ण अधिकार विभाग को रहेगा।

Shw.
10/7/2015

(चन्द्रशेखर, भा० प्र० से)
सरकार के अपर सचिव
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
बिहार, पटना।

